

**कार्यालय आयुक्त,
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
इन्द्रावती भवन, ब्लाक-डी (भू-तल) अटल नगर, जिला रायपुर (छ0ग0)
☎ - 2263708, 2262558 Fax - 2262558**

Email Id - pmscstobc@gmail.com

क्रमांक / STU/171/2026-SCHOLARSHIP SECTION

नवा रायपुर, दिनांक 15/06/2026

: : सूचना प्रकाशन : :

वर्ष 2026-27 में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12वीं से उच्चतर) हेतु ऑनलाईन पंजीयन की सूचना

छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग कालेज, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक एवं आई.टी.आई आदि के प्राचार्य/संस्था प्रमुख, छात्रवृत्ति प्रभारी एवं उनमें अध्ययनरत् **अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग** के विद्यार्थियों, जो विभाग द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता रखते हैं, को सूचित किया जाता है कि **शिक्षा सत्र 2026-27 हेतु ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12वीं से उच्चतर) के पंजीयन, स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही <http://postmatric-scholarship.cg.nic.in/> वेबसाइट पर ऑनलाईन की जा रही है। जिसके अंतर्गत विभाग द्वारा ऑनलाईन आवेदन/प्रस्ताव/स्वीकृति वर्ष 2026-27 हेतु निम्नानुसार तिथि निर्धारित की जा रही है :-**

आवेदन का प्रकार	आवेदन प्राप्ति तिथि	संस्था स्तर पर कार्यवाही हेतु समय-सीमा	जिला स्तर पर कार्यवाही हेतु समय-सीमा	संभावित छात्रवृत्ति वितरण तिथि	रिमार्क
नवीनीकरण	30 जून 2026 तक	1. अशासकीय संस्थाओं - प्राप्त आवेदनों का परीक्षण कर जिला को भेजना 07 दिवस अधिकतम	1. अशासकीय संस्थाओं के आवेदनों का परीक्षण एवं स्वीकृति उपरान्त राज्य मुख्यालय को प्रेषित करने हेतु अधिकतम 08 दिवस	18 जुलाई 2026	आधार सीडेड बैंक खाते में भुगतान 07 कार्य दिवस में प्राप्त होगा।
	30 सितम्बर 2026 तक			18 अक्टूबर 2026	
	30 नवम्बर 2026 तक			18 दिसम्बर 2026	
	30 दिसम्बर 2026 तक			18 जनवरी 2027	
नवीन	30 अगस्त 2026 तक	2. शासकीय संस्थाओं - प्राप्त आवेदनों का परीक्षण स्वीकृत कर जिला को भेजना 10 दिवस अधिकतम	2. शासकीय संस्थाओं के आवेदनों का परीक्षण एवं स्वीकृति उपरान्त राज्य मुख्यालय को प्रेषित करने हेतु अधिकतम 05 दिवस	18 सितम्बर 2026	
	30 सितम्बर 2026 तक			18 अक्टूबर 2026	
	30 नवम्बर 2026 तक			18 दिसम्बर 2026	
	30 दिसम्बर 2026 तक			18 जनवरी 2027	

वर्ष 2026-27 में विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति **आवेदन नवीनीकरण के लिए 20 जून 2026** एवं **नवीन आवेदन के लिए 01 अगस्त 2026** से छात्रवृत्ति पोर्टल प्रारंभ किये जायेगे। प्राप्त नवीनीकरण एवं नवीन आवेदनों का परीक्षण एवं स्वीकृति संबंधी समस्त कार्यवाही समयावधि में वितरण तिथि के पूर्व स्वीकृत कर्ता अधिकारी द्वारा पूर्ण कर लिया जाए जिससे सक्षम प्राधिकारी द्वारा छात्रवृत्ति का सम्पूर्ण वितरण एवं भुगतान माह जनवरी 2027 तक पूर्ण किया जा सकें।

1. छात्रवृत्ति हेतु निम्नानुसार पात्रता निर्धारित है :-

- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के पालक की आय-सीमा रु. 2.50 लाख प्रतिवर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आय-सीमा रु. 1.00 लाख प्रतिवर्ष, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण पत्र, छ.ग. का मूल निवास प्रमाण पत्र, विद्यार्थी के अध्ययनरत् पाठ्यक्रम के विगत वर्ष का परीक्षा परिणाम।
- PFMS के माध्यम से आधार सीडेड बैंक खाते में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा रहा है। अतः सभी विद्यार्थी अपने सक्रिय एवं आधार सीडेड बैंक खाते की प्रविष्टि आनलाईन आवेदन करते समय सुनिश्चित करें।
- वर्ष 2026-27 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को NSP Portal से OTR (One Time Registration) प्राप्त करना आवश्यक है। इस हेतु राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल में प्रदाय निर्देशों का अवलोकन किया जा सकता है।
- वर्ष 2026-27 में नवीन संस्था के संस्था प्रमुख (HoI) एवं संस्था के छात्रवृत्ति प्रभारी (INO) का biometric-authentication किया जाना अनिवार्य है।

आयुक्त

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
नवा रायपुर, छ0ग0